

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सिवान / कटिहार / खगड़िया / अरवल / मधेपुरा / नवादा / सहरसा / सारण / रोहतास / शिवहर / पूर्वी
चम्पारण / पश्चिम चम्पारण / भोजपुर / कैमूर / शेखपुरा / सुपौल / पूर्णियाँ / नालंदा / मुंगेर / वैशाली /
समस्तीपुर / जमुई / दरभंगा / भागलपुर / मुजफ्फरपुर / लखीसराय / गोपालगंज / बेगूसराय / गया।

पटना-15, दिनांक- 20/12/2018

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य भीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल ₹ 2038.75 लाख (बीस करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत।

उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या- 39 विस्तृत शीर्ष- 37-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष- 01-अनुग्रह अनुदान
(राशि रुपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	सिवान	136.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख)	44.30 (चौवालीस लाख तीस हजार)	180.30 (एक करोड़ अस्सी लाख तीस हजार)
2	कटिहार	165.75 (एक करोड़ पैंसठ लाख पचहत्तर हजार)	68.00 (अड़सठ लाख)	233.75 (दो करोड़ तेतीस लाख पचहत्तर हजार)
3	खगड़िया	441.149 (चार करोड़ इकतालीस लाख चौदह हजार नौ सौ)	20.00 (बीस लाख)	461.149 (चार करोड़ इकसठ लाख चौदह हजार नौ सौ)
4	अरवल	24.00 (चौबीस लाख)	4.00 (चार लाख)	28.00 (अठाईस लाख)
5	मधेपुरा	261.113 (दो करोड़ इकसठ लाख ग्यारह हजार तीन सौ)	84.297 (चौरासी लाख उनतीस हजार सात सौ)	345.41 (तीन करोड़ पैतालीस लाख इकतालीस हजार)
6	नवादा	80.00 (अस्सी लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)	116.00 (एक करोड़ सोलह लाख)
7	सहरसा	246.537 (दो करोड़ छियालीस लाख तिरपन हजार सात सौ)	240.00 (दो करोड़ चालीस लाख)	486.537 (चार करोड़ छियासी लाख तिरपन हजार सात सौ)
8	सारण	208.381 (दो करोड़ आठ लाख अड़तीस हजार एक सौ)	144.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख)	352.381 (तीन करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार एक सौ)

9	रोहतास	136.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख)	64.00 (चौसठ लाख)	200.00 (दो करोड़)
10	शिवहर	24.00 (चौबीस लाख)	48.00 (अड़तालीस लाख)	72.00 (बहत्तर लाख)
11	पूर्वी चम्पारण	213.031 (दो करोड़ तेरह लाख तीन हजार एक सौ)	44.172 (चौवालीस लाख सतरह हजार दो सौ)	257.203 (दो करोड़ सनतावन लाख बीस हजार तीन सौ)
12	पश्चिम चम्पारण	48.00 (अड़तालीस लाख)	8.00 (आठ लाख)	56.00 (छप्पन लाख)
13	भोजपुर	120.00 (एक करोड़ बीस लाख)	8.00 (आठ लाख)	128.00 (एक करोड़ अठाईस लाख)
14	कैमूर	172.619 (एक करोड़ बहत्तर लाख इकसठ हजार नौ सौ)	20.00 (बीस लाख)	192.619 (एक करोड़ बानवे लाख इकसठ हजार नौ सौ)
15	शेखपुरा	60.00 (साठ लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	84.00 (चौरासी लाख)
16	सुपौल	184.00 (एक करोड़ चौरासी लाख)	8.00 (आठ लाख)	188.00 (एक करोड़ अठासी लाख)
17	पूर्णियाँ	268.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख)	132.00 (एक करोड़ बत्तीस लाख)	400.00 (चार करोड़)
18	नालंदा	625.282 (छः करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार दो सौ)	124.301 (एक करोड़ चौबीस लाख तीस हजार एक सौ)	749.583 (सात करोड़ उनचास लाख अनठावन हजार तीन सौ)
19	मुंगेर	225.413 (दो करोड़ पच्चीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ)	44.00 (चौवालीस लाख)	269.413 (दो करोड़ उनहत्तर लाख इकतालीस हजार तीन सौ)
20	वैशाली	261.20 (दो करोड़ इकसठ लाख बीस हजार)	16.92 (सोलह लाख बानवे हजार)	278.12 (दो करोड़ अठहत्तर लाख बारह हजार)
21	समस्तीपुर	140.00 (एक करोड़ चालीस लाख)	8.00 (आठ लाख)	148.00 (एक करोड़ अड़तालीस लाख)
22	जमुई	64.80 (चौसठ लाख अस्सी हजार)	0.76 (छिहत्तर हजार)	65.56 (पैसठ लाख छप्पन हजार)
23	दरभंगा	184.00 (एक करोड़ चौरासी लाख)	96.00 (छियानवे लाख)	280.00 (दो करोड़ अस्सी लाख)
24	भागलपुर	744.00 (सात करोड़ चौवालीस लाख)	72.00 (बहत्तर लाख)	816.00 (आठ करोड़ सोलह लाख)
25	मुजफ्फरपुर	552.17 (पाँच करोड़ बावन लाख सतरह हजार)	420.00 (चार करोड़ बीस लाख)	972.17 (नौ करोड़ बहत्तर लाख सतरह हजार)
26	लखीसराय	152.00 (एक करोड़ बावन लाख)	120.00 (एक करोड़ बीस लाख)	272.00 (दो करोड़ बहत्तर लाख)
27	गोपालगंज	52.00 (बावन लाख)	92.00 (बानवे लाख)	144.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख)
28	बेगूसराय	276.00 (दो करोड़ छिहत्तर लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)	312.00 (तीन करोड़ बारह लाख)
29	गया	116.344 (एक करोड़ सोलह लाख चौतीस हजार चार सौ)	12.00 (बारह लाख)	128.344 (एक करोड़ अठाईस लाख चौतीस हजार चार सौ)
कुल योग		6181.789 (इकसठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार नौ सौ)	2038.75 (बीस करोड़ अड़तीस हजार पचहत्तर हजार)	8220.539 (बेयासी करोड़ बीस लाख तिरपन हजार नौ सौ)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 779 दिनांक 08.10.18, 780 दिनांक 08.10.18, 747 दिनांक 28.09.18, 818 दिनांक 23.10.18, 810 दिनांक 13.10.18, 808 दिनांक 13.10.18, 867 दिनांक 08.11.18, 868 दिनांक 08.11.18 एवं 869 दिनांक 08.11.18/ कटिहार के पत्रांक 1700 दिनांक 06.10.18/ खगड़िया के

पत्रांक 445 दिनांक 01.10.18, 429 दिनांक 24.09.18, 118 दिनांक 12.11.18 एवं 111 दिनांक 19.11.18/अरवल के पत्रांक 189 दिनांक 06.11.18/मधेपुरा के पत्रांक 924 दिनांक 19.11.18, 927 दिनांक 19.11.18, 926 दिनांक 19.11.18, 925 दिनांक 19.11.18, 944 दिनांक 27.11.18, 945 दिनांक 27.11.18, 874 दिनांक 11.10.18, 873 दिनांक 11.10.18, 943 दिनांक 27.11.18, 959 दिनांक 04.12.18, 954 दिनांक 04.12.18, 955 दिनांक 04.12.18, 956 दिनांक 04.12.18, 957 दिनांक 04.12.18, 958 दिनांक 04.12.18, 965 दिनांक 05.12.18, 966 दिनांक 05.12.18, 963 दिनांक 05.12.18 एवं 964 दिनांक 05.12.18/नवादा के पत्रांक 369 दिनांक 27.09.18, 370 दिनांक 27.09.18, 368 दिनांक 27.09.18, 420 दिनांक 08.11.18, 419 दिनांक 08.11.18, 427 दिनांक 19.11.18 एवं 186 दिनांक 23.05.18/ सहरसा के पत्रांक 641-2 दिनांक 12.10.18, 24-1 दिनांक 31.10.18, 706-2 दिनांक 27.11.18, 23-1 दिनांक 31.10.18 एवं 730-2 दिनांक 10.11.18/सारण के पत्रांक 841 दिनांक 05.10.18, 894 दिनांक 24.10.18 एवं 15 दिनांक 19.09.18/रोहतास के पत्रांक 297 दिनांक 06.10.18/शिवहर के पत्रांक 390 दिनांक 03.10.18/पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 278 दिनांक 12.10.18/पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 81 दिनांक 15.10.18 एवं 82 दिनांक 20.10.18/भोजपुर के पत्रांक 562 दिनांक 08.10.18 एवं 569 दिनांक 08.10.18/कैमूर के पत्रांक 623 दिनांक 17.11.18, 624 दिनांक 17.11.18 एवं 612 दिनांक 05.11.18/शेखपुरा के पत्रांक 299 दिनांक 25.10.18/सुपौल के पत्रांक 1149-2 दिनांक 27.10.18/पूर्णियाँ के पत्रांक 1151 दिनांक 26.10.18/नालंदा के पत्रांक 1241 दिनांक 05.12.18 एवं 1129 दिनांक 31.10.18/मुंगेर के पत्रांक 1529 दिनांक 30.11.18 एवं 1463 दिनांक 15.11.18/वैशाली के पत्रांक 1008 दिनांक 04.12.18, 1007 दिनांक 30.11.18, 1036 दिनांक 10.11.18, 992 दिनांक 28.11.18 एवं 996 दिनांक 28.11.18/समस्तीपुर के पत्रांक 806 दिनांक 29.11.18/जमुई के पत्रांक 273 दिनांक 12.11.18/ दरभंगा के पत्रांक 56 दिनांक 02.11.18/भागलपुर के पत्रांक 893 दिनांक 05.11.18, 891 दिनांक 05.11.18, 892 दिनांक 05.11.18 एवं 937 दिनांक 30.11.18/मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1474 दिनांक 12.10.18/लखीसराय के पत्रांक 346 दिनांक 08.11.18/गोपालगंज के पत्रांक 1082 दिनांक 03.11.18/बेगूसराय के पत्रांक 680 दिनांक 01.11.18/गया के पत्रांक 3960 दिनांक 06.12.18, 3962 दिनांक 06.12.18 एवं 3963 दिनांक 06.12.18 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 एवं 1891/आ0प्र0 दिनांक 16.07.18 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'घटना राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों /घायलों /पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. विभागीय पत्रांक 4310/आ0प्र0 दिनांक 11.12.18 (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध) द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में उक्त अनुग्रह अनुदान की राशि PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधे आपदा पीड़ितों के खाते में हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।
13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।
14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ज्ञापांक- 63 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 20/12/2018
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 63 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 20/12/2018
प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 63 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 20/12/2018
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 63 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 20/12/2018
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 63 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 20/12/2018
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट) / सांख्यिकी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर / प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

अपर सचिव